न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2022 (2022/45) उनवान गणेश बनाम रामरतन ::

1. गणेश पुत्र उगमा जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. सायर पत्नी उगमा जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--प्रार्थी

बनाम

1. रामरतन पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी ग्राम धौलपुरिया
2. श्योराज पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
3. सत्यनारायण पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
4. रतन पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
5. तेजू पुत्र पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
   5/1 ग्यारसी पत्नि तेजू
   5/2 सुमित पुत्र तेजू
   5/3 काली पुत्री तेजू
   5/4 मनोहर पुत्री तेजू
   5/5 संजू पुत्री तेजू
   5/6 महेन्द्र पुत्र तेजू
6. छोटू पुत्र पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
   6/1 नन्दू पत्नि छोटू
   6/2 रेखा पुत्री छोटू
   6/3 शोभा पुत्री छोटू
   6/4 चन्ता पुत्री छोटू
7. गोगा पुत्री पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
8. घीसी पत्नी रामा जाति बलाई निवासी ग्राम कालानाडा
9. हरजी पुत्र जवारा जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानाडा
10. तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21.06.2023

प्रार्थीया की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामनिवास बैरवा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 07.06.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 44/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 17.06.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री कुश कुमार उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा अन्य अप्रार्थीगण तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 की और से कोई उपस्थित नहीं होनें से दिनांक 24.03.2023 को प्रतिवादी संख्या अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 24.03.2023 तक भी अप्रार्थी संख्या 01 के वकील द्वारा अनुपस्थित रहने तथा जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 24.03.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार प्रकरण में दिनांक 19.05.2023 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के फौत होने पर उनके विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने बाबात पेश किया जिसके नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.06.2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया तथा बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 05 व 06 के वारिसानों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा दिनांक 07.06.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर एकक्षीय बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को अस्वीकार किया गया। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता [illegible] के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर स्थित है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण वर्षों से काबिज काश्त है तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। चारो सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 729/2, 726/2, व 728/2 स्थित है। अप्रार्थीगण आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम ग्राम कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

दिनांक 16.06.2023 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पर बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने निवेदन प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर स्थित है तथा उक्त भमि पर प्रार्थीगण वर्षों से काबिज काश्त है तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड में मानचित्र के अनुसार ही काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त भुमि से किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। चारो सीमाओं पर निम्नानुसार अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 729/2, 726/2, व 728/2 स्थित है। अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीया की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण एक गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करती है जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

द्वारा प्रार्थीया की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया, अतः उपरोक्त विवेचन व ...न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ...ीकार किया जाता है एवं ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा भू.अ.नि. भोगादीत तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested